पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध सं. 59310 / 2024

मामला सं.–16 वर्ष–2023 थाना–D.R.I, जिला–पटना से उत्पन्न

= =

अमित कुमार, पुत्र श्री विष्णु प्रसाद सिंह, निवास गाँव–खिलवत, वार्ड संख्या–1, थाना –बिदुपुर, जिला– वैशाली, बिहार–844503

... . याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

राजस्व खुफिया निदेशालय, क्षेत्रीय इकाई, पटना बिहार के माध्यम से भारत संघ।

... ... विपक्षियों

= =

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री प्रसून शेखर, अधिवक्ताः
श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

भारत संघ के लिएः श्री संचय श्रीवास्तव, वरिष्ठ स्थायी वकीलः
श्री अंकित कुमार सिंह, जूनियर स्थायी वकीलः
श्री सुशांत श्रीवास्तव, अधिवक्ता

= =

एनडीपीएस अधिनियम–––धारा 21, 23, 29, 35, 37, 52ए, 54, 67–––दो या अधिक सह–आरोपियों से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा को मिलाना–––नियमित जमानत के लिए याचिका–––याचिकाकर्ता और तीन अन्य सह–आरोपियों के खिलाफ 306.70 ग्राम हेरोइन बरामद होने का आरोप है–––निष्कर्षः धारा 52ए के अनुपालन में कोई चूक या देरी न तो मुकदमे को प्रभावित करेगी और न ही आरोपी को जमानत पर रिहा करने का अधिकार देगी। अदालत को जांच के दौरान एकत्र अन्य परिस्थितियों और अन्य प्राथमिक साक्ष्यों पर विचार करना होगा, साथ ही एनडीपीएस अधिनियम की धारा 54 के तहत स्वीकार्य वैधानिक अनुमान पर भी विचार करना होगा––– जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा अधिनियम की धारा 37 के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करने के चरण में प्रासंगिकता मानती है––– जहां कमी/या आपराधिक साजिश का सुझाव देने के लिए सबूत हैं, व्यक्तिगत रूप से बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा को यह निर्धारित करने के लिए जोड़ा जा सकता है कि क्या यह एक 'व्यावसायिक मात्रा' है––– याचिकाकर्ता को तीन अन्य सह–आरोपियों के साथ असम से हाजीपुर में हेरोइन की तस्करी के लिए पकड़ा गया था और सीडीआर के अवलोकन से पता चला कि घटना की तारीख पर याचिकाकर्ता और अन्य सह–आरोपियों के बीच 14 फोन कॉल किए गए थे––– सभी आरोपियों से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था––– याचिकाकर्ता और सह–आरोपियों के बीच साजिश स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है क्योंकि उनके पास 306.70 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ "संयुक्त कब्जे"

में पाया गया था इस पर कब्जे के लिए कोई वैध औचित्य देने में विफल रहे हैं––– बरामदगी की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है, यह अदालत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत का विशेषाधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है–––याचिका खारिज की जाती है। **(पैरा 5–9)**

2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3848, 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 7732, (2005) 7 एससीसी 550 ... ...**पर भरोसा किया गया।**

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= =

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक आदेश

तिथि –31–01–2025

याचिकाकर्ता की ओर से श्री प्रसून शेखर विद्वान वकील को सुना जिनकी सहायता श्री राजेश कुमार ने की एवं भारत संघ की ओर से वरिष्ठ स्थायी वकील श्री संचे श्रीवास्तव को सुना जिनकी सहायता कनिष्ठ स्थायी वकील श्री अंकित कुमार सिंह और श्री सुशांत श्रीवास्तव ने की।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 02.11.2023 को डीआरआई के खुफिया अधिकारी मिथुन भारद्वाज ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन, बिहार के बाहर दुर्गा मंदिर के पास एक विशिष्ट सूचना के आधार पर चार लोगों, अपू शुक्लाबैद्य, अजीत बोरा, मदन डे और अमित कुमार को गिरफ्तार किया।तलाशी के दौरान, अपू शुक्लाबैद्य के कब्जे से साबुन के छह डिब्बों में छिपी हुई हेरोइन के छह पैकेट बरामद किए गए, अजीत बोरा के कब्जे से साबुन के 13 डिब्बों में छिपी हुई 13 पैकेट हेरोइन बरामद की गई और मदन डे के कब्जे से साबुन के छह डिब्बों में छिपी हुई हेरोइन के छह पैकेट बरामद किए गए। वजन करने पर, हेरोइन का कुल वजन लगभग 306.70 ग्राम निकला। चारों अभियुक्त व्यक्तियों ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत अपने बयानों में पैसे के लालच में जब्त की गई हेरोइन को जानबूझकर रखने, ले जाने और परिवहन करने के अपने अपराध को स्वीकार किया।तदनुसार, तलाशी–सह–जब्ती सूची तैयार की गई है और वर्तमान मामला मे सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के तहत दर्ज किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को केवल संदेह के आधार पर इसमें गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा 03.11.2023 दिनांकित गिरफ्तारी ज्ञापन में क्रम संख्या 9 में गिरफ्तारी के आधार मे इसका उल्लेख *'गांजा की तस्करी'* के रूप मे किया गया है । इसलिए, आधार का डी. आर. आई. की शिकायत के विरोधाभासी होने के बावजूद याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी/हिरासत का ठोस कारण नहीं हो सकता है।इसके बाद वह प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ता को कानून द्वारा आवश्यक कारणों को दर्ज किए बिना नियमित और आकस्मिक तरीके से गिरफ्तार किया गया था।इसके लिए, उन्होंने **प्रबीर पुर्यकस्थ बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), 2024 एससीसी ऑन लाइन एस. सी. 934** के निर्णय पर भरोसा किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

> *20. परिणामस्वरूप, न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं है कि यू. ए. पी. ए. के प्रावधानों के तहत अपराध करने के आरोप या उ0स मामले के लिए किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए*

गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित रूप में सूचित करने का मौलिक और वैधानिक अधिकार है और गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को निश्चित रूप से और बिना किसी अपवाद के जल्द से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का उद्देश्य हितकर और पवित्र है क्योंकि यह जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए अपने वकील से परामर्श करने, पुलिस हिरासत रिमांड का विरोध करने और जमानत लेने का एकमात्र प्रभावी साधन होगी।कोई भी अन्य व्याख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार की पवित्रता को कम करने के समान होगी।आधारों के संचार के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और अनुच्छेद 22 (5) में उपयोग की गई भाषा बिल्कुल समान है।संवैधानिक प्रावधानों में से किसी में भी यह आवश्यकता नहीं है कि "गिरफ्तारी" या "हिरासत" के "आधार", जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के दायरे की जांच करते हुए संविधान पीठ द्वारा मौलिक अधिकार के इस महत्वपूर्ण पहलू की व्याख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (1) पर लागू होगी, जहां तक गिरफ्तारी के आधारों को संप्रेषित करने की आवश्यकता का संबंध है।

30. इसलिए, हमें यह दोहराने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और 22 (5) के तहत प्रदान किए गए किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार या हिरासत के आधार को लिखित रूप में सूचित करने की आवश्यकता पवित्र है और किसी भी स्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।इस संवैधानिक आवश्यकता और वैधानिक जनादेश का पालन न करने पर गिरफ़्तारी या हिरासत को अवैध माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

31. इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 22 (1) के प्रावधानों की व्याख्या पहले ही पंकज बंसल (उपरोक्त) मामले में की जा चुकी है, जिसमें संदेह से परे यह कहा गया है कि गिरफ्तारी के आधार को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।इसलिए, विद्वान ए. एस. जी. की तीव्र दलील कि अभियुक्त अपीलार्थी को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधारों

को सूचित करने की कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं थी, को खारिज कर दिया गया है।

3.i .उन्होंने आगे कहा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 52 ए के अनिवार्य प्रावधान का गैर–अनुपालन किया गया है जो तलाशी और जब्ती प्रक्रिया को दूषित करता है जिसके लिए विद्वान वकील निम्नलिखित मामलों पर भरोसा करते हैंः

ए. **अमजद खान बनाम राजस्थान राज्य, 2024 आर जे –जे. डी. 24228:**

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अधिनियम की धारा 52 ए के संबंध में बयान और आवेदक के वकील द्वारा संबोधित अन्य तर्कों पर विचार करने के बाद, जैसा कि चालान कागजात और प्रस्तुत साक्ष्य से ऊपर उल्लेख किया गया है, यह प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 52 ए का अनुपालन और सक्षम और अधिकृत अधिकारी द्वारा जब्ती को अपनी सही भावना में नहीं दिखाता है।ऐसी स्थिति में, यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि अभियोजन पक्ष से उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, यह प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष के मामले को काफी कमजोर करता है और इस प्रकार, सम्पूर्ण तलाशी और जब्ती की कार्यवाही प्रथम दृष्टया दूषित हो जाती है।"

ख. **इब्राहिम ख्वाजा मिया सैयद बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन बोम 2873:**

"रिकॉर्ड से यह भी संकेत मिलता है कि जांच एजेंसी ने दोनों थैलों से स्वतंत्र रूप से नमूने नहीं लिए हैं, बल्कि दोनों थैलों में पूरी प्रतिबंधित सामग्री को एक साथ मिलाया है और उसके बाद दो नमूने लिए हैं, जिनमें से एक को विश्लेषण के लिए सी. एफ. एस. एल. को भेजा गया था।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2015 की अमानी फिदेल क्रिस बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सी. आर. एल. अपील सं 1027 और राम भरोसे (ऊपर) में 88 के स्थायी आदेश 1 पर विचार किया है, जो 89 के स्थायी आदेश 1 के साथ समान सामग्री है और यह अभिनिर्धारित किया है कि "कंटेनर/पैकेज की सामग्री (एक लॉट में) को मिलाने और फिर प्रतिनिधि नमूने लेने की स्थायी आदेशों के तहत अनुमति नहीं है और यह ठीक है क्योंकि इस तरह का नमूना संबंधित कंटेनर/पैकेज का प्रतिनिधि नमूना होने के लिए जब्त किया जाएगा।"तत्काल मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सी. एफ. एस. एल. को भेजा गया नमूना प्रतिनिधि नमूना नहीं था।

इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक मेघा जमानत की हकदार होगी ।"

3.ii. उन्होंने आगे कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत बरमदगी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की आवश्यकताओं का अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है और तत्काल मामले में प्रतिवादी ऐसा करने में विफल रहे।उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के **कालू एस. के., पुनः, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 4556** के फैसले पर भरोसा किया जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

"11. शफी मोहम्मद (ऊपर) में की गई टिप्पणियाँ के साथ–साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी फील्ड ऑफिसर्स हैंडबुक में दिशानिर्देश एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत बरमदगी की कार्यवाही की अनिवार्य वीडियोग्राफी के बारे में हमारे विचार को पुष्ट करते हैं। प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति हुई है और वीडियोग्राफी को सक्षम करने वाले स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे उपकरण आमतौर पर जब्त करने वाले अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं।इसलिए, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता या जागरूकता की कमी एक गैर–मुद्दा है।

12. तदनुसार, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैंः—

(i) मादक पदार्थ की बरामदगी, विशेष रूप से वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मादक पदार्थ की बरामदगी से जुड़े सभी मामलों में, जब तक कि जब्त करने वाले अधिकारियों के नियंत्रण से परे कारणों के लिए वे ऐसा करने में असमर्थ न हों, तब तक जब्त करने वाले अधिकारी पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे।

(ii) बरमदगी की कार्यवाही को वीडियोग्राफ करने में विफल रहने के कारणों को विशेष रूप से जांच रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब्ती/सूची सूची सहित समकालीन दस्तावेजों में।

(iii) अपर पुलिस अधीक्षक के पद से कम के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मादक पदार्थ की बरामदगी की निगरानी करेंगे और बरामदगी की वीडियोग्राफी और/या ऐसी प्रक्रिया से प्रस्थान के पर्याप्त कारणों की रिकॉर्डिंग से संबंधित निर्देशों (i) और (ii) के अनुपालन सहित तलाशी और बरामदगी के संबंध में वैधानिक प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(iv) बरमदगी की वीडियोग्राफी से संबंधित निर्देशों (i) और (ii) का पालन न करना और/या इसके गैर–अनुपालन के लिए समकालीन दस्तावेजों में उचित कारणों को दर्ज करने में विफलता

विभागीय कार्यवाही को आकर्षित करेगी जहाँ तक अभिग्रहण अधिकारी का संबंध है।

(v) पुलिस महानिदेशक उपरोक्त निर्देशों के उचित अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

(vi) प्रत्येक जिले/आयुक्तालय में पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तलाशी और जब्ती के मामले में वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन और अदालत में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रह, संरक्षण और उत्पादन सहित बरमदगी के वीडियोग्राफ से संबंधित उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के बारे में अधिकारियों में जागरूकता फैलाने और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे।"

3.iii. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि सह–अभियुक्त व्यक्तियों के बीच आदान–प्रदान की गई बातचीत की प्रतिलिपि के अभाव में, केवल कॉल विवरण को एक पुष्टिकारक सामग्री के रूप में नहीं माना जाएगा। उन्होंने **विक्रांत सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 3584** के मामले पर भरोसा किया **जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया थाः**

"11. यश जायेशभाई चंपकलाल शाह के मामले (ऊपर) में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले में, यह निम्नानुसार देखा गया हैः– "उपस्थित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, यह रिकॉर्ड में सामने आता है कि आवेदक के पास कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं है।इसके अलावा, कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चल सकता है कि घटना के समय के आसपास, वह सह–आरोपी के संपर्क में था, जिनके पास प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया था।चूंकि अभियुक्त के बीच बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए केवल सह–आरोपी जिनके पास प्रतिबंधित वस्तु थी के साथ संपर्क को अभियुक्त के खिलाफ पाई गई ठोस सामग्री के अभाव में, पुष्टि करने वाली सामग्री नहीं माना जा सकता है।"

12. उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि सह–अभियुक्त के बीच आदान–प्रदान की गई बातचीत की प्रतिलिपि के बिना, अभियुक्त के खिलाफ पाई गई ठोस सामग्री के अभाव में केवल कॉल विवरण को पुष्टि करने वाली सामग्री नहीं माना जाएगा।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अन्य सामग्री नहीं है।

3.iv. उन्होंने आगे कहा कि तत्काल मामले में शिकायतकर्ता होने के नाते जांच अधिकारी को मामले की जांच करने से बचना चाहिए था क्योंकि यह निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की अवधारणा को नकार देगा।

अर्जुन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 1044, के मामले में यह माना गया था किः

> *वर्तमान मामले में जांच अधिकारी, एस. आई. माखन सिंह–पी. डब्ल्यू. 3 भी मामले के शिकायतकर्ता हैं।उन्हें मामले की जांच से खुद को बचाना चाहिए था क्योंकि यह निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की अवधारणा को नकार देगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में आधिकारिक कार्रवाई की निष्पक्षता के सिद्धांत का आधार है।पुलिस निरीक्षक, नार्कोटिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, मदुरै, तमिलनाडु द्वारा राज्य बनाम रंजनगम 2010 (15) एस. सी. सी. 369 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा गिरफ्तारी और तलाशी ली जाती है, इसलिए उन्हे मामले की जांच में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए।जाँच का नेतृत्व करने वाला ऐसा अधिकारी स्पष्ट रूप से की उक्त जाँच प्रक्रिया की न्याय और निष्पक्षता पर सवाल उठाएगा। मुकदमे के बाद, लालटू प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2017 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 237 मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने नमूना जमा करने में देरी और शिकायतकर्ता के जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने को देखते हुए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।इसी तरह, मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1996 (11) एस. सी. सी. 709 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि शिकायतकर्ता जिसने आरोपी को रोका था, हथियार बरामद किए थे और मामला दर्ज किया था, उसे जांच से खुद को अलग कर लेना चाहिए था क्योंकि यह जांच की निष्पक्ष प्रकृति के बारे में संदेह पैदा करता है।स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई जनता में विश्वास पैदा करना आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला है।*

3.v .उन्होंने आगे कहा कि जब भी प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए जाते हैं, तो जब्त की गई मात्रा को उन लोगों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए जिनके पास ऐसी मात्रा पाई गई थी और यदि विभाजित मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है, तो धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होगी।इसके लिए उन्होंने **एटमशेट्टी राजबाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, आपराधिक याचिका संख्या 2518/2018** के मामले पर भरोसा किया जहाँ उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

> *" याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में चार आरोपी हैं और जब जब्त की गई मात्रा को उनके बीच विभाजित किया जाता है, तो यह वाणिज्यिक मात्रा से कम होती है और इसलिए, इसे वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामले के रूप में नहीं माना*

जा सकता है।अपने निवेदन के समर्थन में, वह 2017 की आपराधिक याचिका संख्या 1501 और 1508 में पारित इस अदालत के आदेश दिनांक 08.03.2017 और 2015 की आपराधिक याचिका सं. 12155, के दिनांक 26.11.2015 में पारित इस अदालत के आदेशों पर निर्भर करता है, जिससे यह समझा जा सकता है कि इस अदालत द्वारा यह विचार रखा गया कि जब प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया जाता है, तो जब्त की गई मात्रा को उन लोगों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, जिनके पास ऐसी मात्रा पाई गई थी और यदि इस तरह के विभाजन पर मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 जमानत देने में बाधा नहीं बनेगी।यह अनुपात तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित सभी अभियुक्तों को पूरी मात्रा की आय से लाभ नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल अपने हिस्से की निषिद्ध वस्तु की आय से लाभ होगा, जो संभवतः बराबर होगी।"

3.vi.उन्होंने आगे कहा कि एक आरोपी को जमानत दी जा सकती है जहां आरोपी के कब्जे से कोई बरमदगी नहीं होती है और सीडीआर आरोपी के बीच हुई वास्तविक बातचीत का खुलासा नहीं करते हैं। **अमनदीप सिंह बनाम यू. टी. चंडीगढ़ राज्य, सी. आर. एम.–एम.–13595–2024** में यह था यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि एक आरोपी को जमानत दी जा सकती है जहां उसका नाम उसके सह–आरोपी के प्रकटीकरण बयान में लिया गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर उससे कोई बरमदगी नहीं हुई है और सीडीआर उस आरोपी और प्रकटीकरण बयान में नामित व्यक्ति के बीच हुई वास्तविक बातचीत का खुलासा नहीं करते हैं जिससे बरमदगी की गई थी ।"

3.vii.वह आगे प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोर कारावास लागू नहीं होगा क्योंकि गंभीर प्रक्रियात्मक गैर–अनुपालन हैं और याचिकाकर्ता एक साफ–सुथरा व्यक्ति है।इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः

क. अमल बनाम केरल राज्य, जमानत आवेदन सं 1790/2024 :

"16. यह याद रखना चाहिए कि अधिनियम के तहत जब्त किए गए नमूनों के आहरण, भंडारण, परीक्षण और निपटान में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर स्थायी आदेशों/निर्देशों की व्याख्या पर

राय के विभाजन के बाद, केंद्र सरकार ने उपरोक्त नियम बनाए हैं, जिससे प्रत्येक जब्त किए गए पैकेज/कंटेनर से प्रतिनिधि नमूने लेना अनिवार्य हो गया है।

27. धीरज कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 918] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत दूसरे अंग को कमजोर किया जा सकता है यदि आरोपी का कोई आपराधिक पूर्ववृत नहीं है।

28. तथ्यों के समग्र संदर्भ में, बार में की गई प्रतिद्वंद्वी तर्कों में, कानून के पूर्व–उद्धृत निर्णयों और ऊपर दिए गए मेरे निष्कर्षों का उल्लेख किया है, विशेष रूप से जांच अधिकारी द्वारा वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में, जिसने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है, और इस तथ्य को समझने पर कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मुझे लगता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि याचिकाकर्ता ने कथित अपराध नहीं किया है और उसके अपराध करने की संभावना नहीं है।इसलिए, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोरता कम हो जाती है और याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।"

ख. राशिद @लल्लू बनाम मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, 2023: एएचसी–एलकेओः 48130 :

"9. यह भी स्पष्ट रूप से तय किया गया है कि अधिनियम की धारा 37 और दो शर्तों पर अनिवार्य रूप से अदालत द्वारा जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, धारा 37 में निर्दिष्ट दोहरी शर्तों के दायरे पर विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2023 लाइव लॉ (एससी) 260 में रिपोर्ट किए गए मोहम्मद मुस्लिम @हुसैन राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) के मामले में विचार किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 37 की दोहरी शर्तों के दायरे को निम्नानुसार समझाया हैः.

"18.अदालतों को जिन शर्तों का संज्ञान लेना होगा, वे यह हैं कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी "इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है" और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"दोषी नहीं" का क्या अर्थ है जब सभी सबूत अदालत के समक्ष नहीं हैं? यह केवल प्रथम दृष्टया निर्धारण हो सकता है।यह अदालत के विवेकाधिकार को बहुत कम अंतर के भीतर रखता है।जमानत (धारा 436,437 और 439, सी. आर. पी. सी.) पर सामान्य कानून के आदेश को

देखते हुए, जो अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करता है, और निर्देश देता है कि कुछ गंभीर अपराधों से जमानत आवेदनों पर विचार करते समय अलग–अलग तरीके से निपटा जाना चाहिए, अतिरिक्त शर्त यह है कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी (जो कानून में निर्दोष माना जाता है) दोषी नहीं है, उसकी उचित व्याख्या की जानी चाहिए।इसके अलावा विशेष अधिनियमों (एन. डी. पी. एस. अधिनियम, आदि) के तहत अपराधों का वर्गीकरण, जो अदालतों द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए आवश्यक सामान्य जमानत शर्तों के ऊपर और सर्वाधिक लागू होता है, के लिए आवश्यक है कि अदालत अपनी संतुष्टि दर्ज करे कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं हो सकता है और यह कि रिहा होने पर, उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।इन दोनों स्थितियों का प्रभाव अन्य स्थितियों पर पड़ता है।जिन मामलों में जमानत मांगी जाती है, अदालत रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का आकलन करती है जैसे कि अपराध की प्रकृति, आरोपी के जांच में सहयोग करने की संभावना, न्याय से नहीं भागने की संभावनाः यहां तक कि हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों में। दूसरी ओर, ऐसे विशेष अधिनियमों के तहत इन मामलों में अदालत को मुख्य रूप से दो तथ्यों पर खुद को संबोधित करना होगाःअभियुक्त का संभावित अपराध और रिहाई पर उनके द्वारा कोई अपराध नहीं करने की संभावना।इस अदालत ने आम तौर पर इस आधार पर ऐसी शर्तों को बरकरार रखा है कि ऐसे नागरिकों की स्वतंत्रता–विशेष कानूनों के तहत अधिनियमित अपराधों के मामलों में–जनहित के खिलाफ संतुलित होनी चाहिए।

19. धारा 37 के तहत शर्तों की एक स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या (यानी, कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी दोषी नहीं है और कोई अपराध नहीं करेगा) प्रभावी रूप से जमानत के अनुदान को पूरी तरह से बाहर कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक हिरासत और गैर–स्वीकृत निवारक हिरासत भी होगा। इसलिए, एकमात्र तरीका जिसमें धारा 37 के तहत अधिनियमित ऐसी विशेष शर्तों पर संवैधानिक मापदंडों के भीतर विचार किया जा सकता है, वह है जहां अदालत रिकॉर्ड पर सामग्री (जब भी जमानत आवेदन किया जाता है) पर प्रथम दृष्टया देखने पर यथोचित रूप से संतुष्ट होती है कि आरोपी दोषी नहीं है।किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिनियमित अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया जाएगा।

> *20. इसलिए जिस मानक पर विचार किया जाना चाहिए, वह है, जहां अदालत सामग्री को व्यापक तरीके से देखेगी, और यथोचित रूप से देखेगी कि क्या अभियुक्त का अपराध साबित किया जा सकता है।इसलिए इस न्यायालय के निर्णयों में इस बात पर जोर दिया गया है कि अदालतों से जो संतुष्टि दर्ज करने की उम्मीद की जाती है, यानी कि आरोपी दोषी नहीं हो सकता है, वह केवल प्रथम दृष्टया एक उचित अध्ययन पर आधारित है, जो जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं है (जैसा कि भारत संघ बनाम रतन मलिक में अभिनिर्धारित किया गया है)।*
>
> *एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों पर भी लागू होने वाली धारा 436ए की अनिवार्यता को देखते हुए, मुकदमे में अनुचित देरी के आधार मानकर जमानत की मंजूरी को अधिनियम की धारा 37 द्वारा बाधित नहीं कहा जा सकता है(संदर्भ: सतेंद्र कुमार अंतिल सुप्रा)। 19 (2009) 2 एस. सी. सी. 624 को इन कारकों के संबंध में रखते हुए अदालत की राय है कि इस मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।*
>
> *12. आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में अधिनियम की धारा 37 के तहत निर्धारित दोहरी शर्तों की दूसरी शर्त, रंजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य एक अन्य (2005) एस. सी. सी. 354 मे दर्ज मामले जिसका 2005 की आपराधिक अपील सं.523 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित और समझाई गई कानून पर ध्यान देना आवश्यक है और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दर्ज किया था कि यह दृष्टिकोण बनाने के लिए कि आवेदक भविष्य में इसी तरह के अपराध में शामिल नहीं होगा, आपराधिक पूर्ववृत्त एक मार्गदर्शक कारक है।वर्तमान मामले में चूंकि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए मैं यह विचार रख सकता हूं कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।*

3.viii. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त जमानत का हकदार है क्योंकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52ए के संदर्भ में नमूना नहीं लिया गया है और इस मुद्दे पर जमानत का चरण मे विचार किया जा सकता है। उन्होंने **तरीना बनाम दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एम. ए. एन. यू./डी. ई. ओ. आर./85694/2024** पर निर्भर किया जहाँ यह कहा गया थाः

11. नूर आगा (उपरोक्त) मामले में, जहां एक कार्डबोर्ड कंटेनर से 1.40 किलोग्राम हेरोइन की कथित बरामदगी हुई थी, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:.

87. इस प्रकार, मूल आवरणों का संरक्षण के संदर्भ में 1989 का स्थायी आदेश 1 मे जारी किए गए निर्देश की धारा 3.1 के दायरे में आता है।

इस तरह के दिशानिर्देशों के उल्लंघन को एक त्रुटि नहीं कहा जा सकता है जिसे इस प्रकृति के मामले में अदालत द्वारा आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है।हम दक्षिण मध्य रेलवे बनाम जी. रत्नम [(2007) 8 एस. सी. सी. 212: (2007)2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 851] में अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित, इस न्यायालय के फैसले से अनजान नहीं हैं: जिसमें इस तरह के दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक नहीं माना गया था, लेकिन इसमें भी इस न्यायालय ने कहा:(एस. सी. सी. पी. 222, पैरा 23)

23. वर्तमान मामलों में, जांच अधिकारियों द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ दंडात्मक अपराध करने के लिए कोई कार्यवाही दर्ज करने का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

XXX XXX XXX

89. जारी किए गए दिशानिर्देशों का न केवल काफी हद तक पालन किया जाना चाहिए, बल्कि दंडात्मक कार्यवाही से जुड़े मामले में भी विभागीय कार्यवाही की तुलना में ऐसे दिशानिर्देशों की कठोरता पर जोर दिया जा सकता है।एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि क्या ऐसे निर्देश क़ानून के प्रावधानों के संदर्भ में जारी किए गए हैं या यह एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आदेश है। आदेश की प्रामाणिकता को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पोर्टल से ऊपर दिखाए गए क्यू. आर. कोड को स्कैन करके फिर से सत्यापित किया जा सकता है।आदेश को डी. एच. सी. सर्वर से 21: 05:30 बजे 04/03/2024 पर डाउनलोड किया गया है या नहीं।जब किसी प्राधिकरण द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं जिसके लिए कानूनी मंजूरी दी जाती है, तो अधीनस्थ अधिकारियों की ओर से इसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

90. हाल ही में, केरल राज्य बनाम कुरियन अब्राहम (पी) लिमिटेड [(2008) 3 एस. सी. सी. 582] में इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम आजादी बचाओ आंदोलन [(2004) 10 एस. सी. सी. 1] में इस न्यायालय के पहले के फैसले के बाद कहा कि में वैधानिक निर्देश अनिवार्य प्रकृति हैं।

91. इन चर्चाओं का तार्किक परिणाम यह है कि स्थायी आदेश में मौजूद दिशानिर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और इसके पर्याप्त अनुपालन पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में भौतिक साक्ष्य की पवित्रता बरकरार रहे।स्पष्ट रूप से, जांच प्राधिकरण द्वारा इन दिशानिर्देशों का कोई पर्याप्त अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि ऐसा सबूत पेश किया जाता, तो यह अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाता।"

3.ix. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 के तहत सबूत का भार केवल तभी अभियुक्त पर पड़ता है जब अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सक्षम होता है।इसके लिए उन्होंने **विजय पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019) 18 एस. सी. सी. 215** पर भरोसा किया:

" मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 3853 में यह देखा गया था:

"10. आपराधिक न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धांत के विपरीत कि एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित नहीं हो जाता, एन. डी. पी. एस. अधिनियम धारा 35 और 54 के तहत सबूत का उल्टा बोझ वहन करता है।लेकिन इसका यह अर्थ नहीं समझा जा सकता है कि जिस क्षण कोई आरोप लगाया जाता है और एफ. आई. आर. कानूनी प्रक्रियाओं के अनुपालन का पाठ करता है जिससे बरमदगी होती है, अभियोजन की शुरुआत से ही सबूत का भार अभियुक्त पर चला जाता है, बिना अभियोजन पक्ष को कुछ और स्थापित या साबित करने के।इस अनुमान का खंडन किया जा सकता है।धारा 35 (2) में प्रावधान है कि एक तथ्य को साबित किया जा सकता है यदि यह उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है और संभावना की प्रधानता पर नहीं है।एन. डी. पी. एस. अधिनियम के कठोर प्रावधान, जैसे कि धारा 37, दस वर्ष की न्यूनतम सजा।

छूट के लिए किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति, जांच के बाद उचित संदेह से परे एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष की आवश्यकता को समाप्त नहीं करती है, जिसके बाद ही सबूत का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाएगा।अभियोजन पक्ष के मामले को संभावनाओं की अधिकता पर आधारित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।""

3.x. चूंकि मामले को मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निपटाया जाना है, इसलिए हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय, **बरुन प्रामाणिक 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन काल 4767** के निर्णय पर भरोसा किया –

> *"हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच अधिकारी द्वारा जाँच में पर्याप्त प्रगति की गई है; दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत प्रासंगिक दस्तावेज़ जब्त कर लिए गए हैं और उपलब्ध गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। याचिकाकर्ता पर जिन अपराधों का आरोप लगाया गया है, उन्हें मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित किया जाना है, जिसका एक बड़ा हिस्सा अब तक जब्त कर लिया गया है।याचिकाकर्ता द्वारा अपने सहयोगियों की सहायता से किए गए अपराध की गंभीरता के बावजूद, हम तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारशील विचार रखते हैं, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता बहुत पहले एक जिम्मेदार पद पर था, कि पूछताछ के उद्देश्य से हिरासत में उसकी नजरबंदी आवश्यक नहीं है और वह निर्देश का हकदार है, जैसा कि इस आवेदन में अनुरोध किया गया है।"*

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने शुरू में ही प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से गलत है, के रूप में तथ्यों साथ ही कानून पर पर प्रथम दृष्टया अस्थिर है। और इस प्रकार खारिज किए जाने के योग्य है।उन्होंने आगे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो बनाम काशिफ, 2024 आई. एन. एस. सी. 1045 के फैसले पर भरोसा किया जिसमें यह निर्धारित किया गया था किः

> *"(i) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या अधिनियम की योजना, उद्देश्य और प्रयोजन के साथ–साथ समग्र रूप से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।इसकी व्याख्या शाब्दिक रूप से की जानी चाहिए न कि उदारता से, जो अंततः अधिनियम के उद्देश्य, प्रयोजन और प्रस्तावना को विफल कर सकता है।*
>
> *(ii) जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए जो अनिवार्य प्रकृति के हैं।धारा 37 में अनिवार्य रूप से निष्कर्षों को दर्ज करना एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों में शामिल अभियुक्तों को जमानत देने के लिए जाना जाता है।*

(iii) जब्त मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों के निपटान के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाली धारा 52ए को शामिल करने का उद्देश्य जब्त निषिद्ध दवाओं और पदार्थों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना था।इसे 1989 में नशीली दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने और उन्हें प्रभावी बनाने के उपायों में से एक के रूप में शामिल किया गया था।

(iv) धारा 52क उप–धारा (2) की उप–धारा (1) मे परिकल्पित प्रक्रियाकेँ निर्धारित करती है तथा इसमे कोई चूक या विलम्बित अनुपालन मात्र एक प्रक्रियात्मक अनियमितता होगी, जिससे न तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का अधिकार होगा और ना ही केवल इस आधार पर मामला दूषित होगा ।

(v) कोई भी प्रक्रियात्मक अनियमितता या अवैधता जाँच के दौरान या उसके बाद तलाशी और जब्ती के दौरान पाई जाती हैं तो अपने आप में जाँच के दौरान एकत्र किए गए पूरे साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगा।न्यायालय को सभी परिस्थितियों पर विचार करना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या अभियुक्त के प्रति कोई गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है।

(vi) धारा 52ए के अनुपालन में कोई भी चूक या देरी न तो मुकदमे को दूषित करेगी और न ही आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार देगी।न्यायालय को अन्य परिस्थितियों और जांच के दौरान एकत्र किए गए अन्य प्राथमिक साक्ष्य के साथ–साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के तहत अनुमेय वैधानिक अनुमान पर भी विचार करना होगा।

4.i . विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी द्वारा संलग्न गिरफ्तारी ज्ञापन पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर हैं जिसमें कहा गया है कि उसने अपने भाई से बात की और उसे हेरोइन की तस्करी के आधार पर अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया।इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अपनी गिरफ्तारी के आधार के बारे में पता था।वकील ने प्रस्तुत किया कि **प्रबीर पुर्यकस्ता (ऊपर)** में निर्धारित अनुपात तथ्यों के एक अन्य समूह के संदर्भ में था जिसमें गिरफ्तारी को ही चुनौती दी गई थी।हालांकि, तत्काल मामले में गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि जमानत देने के लिए याचिका दायर की गई है। अतः यह अनुपात लागू नहीं होगा।

4.ii. विद्वान वकील ने आगे अभियुक्तों के बीच विभाजित किए जा रहे निषिद्ध पदार्थों की मात्रा के संबंध में दलील दी, वकील ने प्रस्तुत किया कि **अवधेश यादव बनाम राज्य सरकार. दिल्ली के एन. सी. टी. में से, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7732** के निर्णय में जहाँ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा किः

"25. अधिनियम की धारा 37 को भी 2001 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किए जाने के बाद अभियुक्त की

जमानत याचिका पर विचार करने के चरण में बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा भी प्रासंगिक है।अधिनियम की धारा 37, अब, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान करती है कि वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं।

अमर सिंह रामजी भाई बारोट बनाम गुजरात राज्यः(2005) 7 एससीसी 550, *मे उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि चूंकि अपीलार्थी को सह–अभियुक्त के साथ साजिश रचने के लिए अधिनियम की धारा 29 के साथ पठित 21 (सी) के तहत भी दोषी ठहराया गया था, इसलिए बरामद किए गए निषिद्ध पदार्थ की कुल मात्रा (व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी से और दो अभियुक्तों के संयुक्त कब्जे से भी) "वाणिज्यिक मात्रा" से अधिक थी, इसलिए अपीलार्थी को न्यूनतम 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों से यह पता चलता है कि जहां उकसाने/या आपराधिक साजिश का सुझाव देने के लिए सबूत हैं, वहाँ व्यक्तिगत रूप से बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा को यह निर्धारित करने के लिए जोड़ा जा सकता है कि क्या यह एक "वाणिज्यिक मात्रा" है।49. जमानत के चरण में दो या दो से अधिक सह–अभियुक्तों से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा को जोड़ने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को पालन किया जा सकता है:*

i. अधिनियम की धारा 29 के तहत उपशमन और/या साजिश के अपराध का आह्वान मात्रा के संयोजन के लिए आवश्यक है। हालांकि, केवल अधिनियम की धारा 29 के तहत अपराध के आह्वान के आधार पर, सभी अभियुक्तों से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा को जोड़ने के लिए एक सीधा सूत्र नहीं हो सकता है। यह प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्री पर निर्भर करेगा।

4.iii.विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि जहां साजिश का आरोप है, तो निषिद्ध पदार्थों की मात्रा को व्यक्तिगत आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संयुक्त बरमदगी के बराबर होगी।वकील यह भी प्रस्तुत करता है कि **कालू एस. के., पुनः, (ऊपर)** प्रतिवादी डी. आर. आई. पर लागू नहीं होगा, क्योंकि डी. आर. आई. उस मामले में पक्षकार नहीं था।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सी. डी. आर. रिपोर्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और सह–अभियुक्त के बीच 14 फोन कॉल किए गए थे जो इस बात की

पुष्टि करता है कि याचिकाकर्ता सह–अभियुक्त को जानता था और वह प्रतिबंधित पदार्थों के लेन देन में सक्रिय रूप से शामिल था जिसका देश के युवाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।इस तरह की अवैध गतिविधियों से उत्पन्न धन राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करता है जिसका उपयोग आगे आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है और जो समग्र रूप से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करता है।अंत में वह प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ता को अन्य सह–अभियुक्त व्यक्तियों के साथ पकड़ा गया है और उसे हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है, और इसलिए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के साथ पढ़ा जाता है, वह जमानत के विशेषाधिकार का हकदार नहीं है।

5. अभिलेख पर सभी सामग्रियों और दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों का गहराई से अध्ययन और जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की यह दूसरी जमानत याचिका है।जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था, हालाँकि, जैसा कि अनुलग्नक आर/ए के रूप में चिह्नित गिरफ्तारी ज्ञापन में देखा गया है, याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने अपने भाई को गिरफ्तारी के बारे में सूचित करते हुए कहा है कि उसे हेरोइन की तस्करी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मादक पदार्थों के मामले में **नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो बनाम काशिफ, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3848** एक फैसले में अभिनिर्धारित किया की एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52ए का पालन न करने पर अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं होगा।सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः

> *" (iv) धारा 52क की उप–धारा (2) ओ उप–धारा (1) मे परिकल्पित प्रक्रिया निर्धारित करती है तथा इसमे कोई चूक या विलम्बित अनुपालन मात्र एक प्रक्रियागत अनियमितता होगी, जिससे न् तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का अधिकार होगा और न ही केवल इस आधार पर मुकदमे को दूषित करेगा ।*
>
> *(v) जाँच के दौरान या उसके बाद तलाशी और जब्ती करने में की गई कोई भी प्रक्रियात्मक अनियमितता या अवैधता, स्वयं जाँच के दौरान एकत्र किए गए पूरे साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी।न्यायालय को सभी परिस्थितियों पर विचार करना होगा और पता लगाना होगा की क्या अभियुक्त के प्रति कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया है।*
>
> *(vi) धारा 52ए के अनुपालन में कोई भी चूक या देरी न तो मुकदमे को दूषित करेगी और न ही आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार देगी।न्यायालय को अन्य परिस्थितियों और जांच के दौरान एकत्र किए गए अन्य प्राथमिक साक्ष्य के साथ–*

साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के तहत अनुमेय वैधानिक अनुमान पर भी विचार करना होगा।

6. इसके अलावा, **अवधेश यादव बनाम राज्य सरकार एन. सी. टी. दिल्ली (ऊपर)** में जहाँ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब्त की गई निषिद्ध सामग्री की मात्रा अधिनियम की धारा 37 के तहत अभियुक्त की जमानत याचिका पर विचार करने के चरण में प्रासंगिक है। सुविधा के लिए धारा 37 (1) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"37. अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती होने चाहिए।.
(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद –
(क) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;
(बी) [धारा 19 या धारा 24 या धारा 27ए के तहत अपराधों और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए भी] 2 के लिए दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि –
(i) लोक अभियोजक को इस तरह की रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और
(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां अदालत को विश्वास होता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

7. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमर सिंह रामजी भाई बारोट बनाम गुजरात राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां उपशमन/या आपराधिक साजिश का सुझाव देने के लिए सबूत हैं, वहां व्यक्तिगत रूप से बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा को यह निर्धारित करने के लिए जोड़ा जा सकता है कि क्या यह एक 'वाणिज्यिक मात्रा' है या नहीं । माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किएः

"iii. ऐसे मामले में जहां दो या दो से अधिक सह–अभियुक्तों से प्रतिबंधित पदार्थ की संयुक्त बरामदगी की गई है, बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को अभियुक्तों की संख्या के बीच समान रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा "वाणिज्यिक मात्रा" में है या नहीं।

iv.जहां अभियुक्त व्यक्ति एक ही निजी वाहन में एक साथ यात्रा कर रहे हैं, वहां कथित बरामदगी को व्यक्तिगत बरामदगी मानना उचित

नहीं होगा और सभी व्यक्तियों से बरामद प्रतिबंधित समान को एक साथ जोड़ा जा सकता है।"

8. तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता को तीन अन्य सह–अभियुक्तों के साथ असम से हाजीपुर में हेरोइन की तस्करी के लिए गिरफ्तार किया गया था और सी. डी. आर. के अवलोकन से, घटना की तारीख को याचिकाकर्ता और अन्य सह–अभियुक्तों के बीच 14 फोन कॉल किए गए थे।इसके अलावा, सभी अभियुक्त व्यक्तियों से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी हुई।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता और सह–अभियुक्त के बीच साजिश स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है क्योंकि 306.70 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ उनके "संयुक्त कब्जे" में पाए गए थे और वे उसके कब्जे का कोई वैध औचित्य बताने मे विफल रहे हैं।

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, अभिलेख पर सामग्री और बरमदगी की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक होने को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत का विशेषाधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है।

10. तदनुसार, याचिकाकर्ता की जमानत की याचिका इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

सनीकर/–

यू. टी.

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।